

बिहार सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

पूनम कुमारी,
सरकार के संयुक्त सचिव

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना

पटना-15, दिनांक-20/02/2025

विषय :- वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक भवन योजनान्तर्गत जमुई वन प्रमंडल, जमुई के झाझा वन प्रक्षेत्र के चकरापत्थर वन परिसर में चार रूम बैरक के निर्माण कार्य हेतु कुल ₹38.17 लाख (अड़तीस लाख सत्रह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹6.00 लाख रुपये (छः लाख रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक वित्तीय वर्ष 2024-25 से 2025-26 तक भवन योजनान्तर्गत जमुई वन प्रमंडल, जमुई के झाझा वन प्रक्षेत्र के चकरापत्थर वन परिसर में चार रूम बैरक के निर्माण कार्य हेतु कुल ₹38.17 लाख (अड़तीस लाख सत्रह हजार रुपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति तथा इसके तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 में ₹6.00 लाख रुपये (छः लाख रुपये) मात्र के व्यय की अनुमति प्रदान की जाती है।

इस योजना का क्रियान्वयन प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना के पत्रांक-79 दिनांक-20.01.2025 द्वारा सम्प्रेषित सारांशित कार्य योजना जो परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है, के अनुरूप किया जायेगा।

2. राशि की निकासी राज्य स्कीम मुख्य शीर्ष-4406-वानिकी तथा वन्यजीव पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-01-वानिकी, लघु शीर्ष-070-संचार तथा भवन, माँग संख्या-19, उपशीर्ष-01 02-भवन, विपत्र कोड-19-4406010700102 के विषय शीर्ष-0102.53.01-मुख्य निर्माण कार्य के अन्तर्गत उपलब्ध उपबंधित राशि के तहत की जायेगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई होंगे तथा राशि की निकासी उनके संबंधित कोषागार से की जायेगी।

4. इस योजना के क्रियान्वयन के समय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि मजदूरी का भुगतान श्रम संसाधन विभाग, बिहार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर पर ही हो।

5. इस राशि का आवंटन, निकासी एवं व्यय बिहार कोषागार संहिता तथा बिहार वित्त नियमावली में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

6. राशि के अग्रिम निकासी पर वित्त विभागीय पत्रांक-2221 दिनांक-15.04.2020 द्वारा शिथिलीकरण प्राप्त है, अतएव राशि के आवंटन के समय वित्त विभागीय परिपत्र संख्या-2561 दिनांक-17.04.1998 की कंडिका-15 को छोड़कर शेष कंडिकाओं का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

7. योजना की स्वीकृति को दर की स्वीकृति नहीं माना जाए। इस योजना की स्वीकृति प्राक्कलित दर के आधार पर दी जा रही है। संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा नियमानुसार विधिवत अनुमोदित दर के अनुरूप ही राशि का व्यय किया जायेगा।

8. सामग्री/सेवाओं की अधिप्राप्ति बिहार वित्त (संशोधन) नियमावली, 2024 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों तथा अद्यतन अनुदेशों के आलोक में की जायेगी।

9. इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
10. योजना क्रियान्वयन का नियमित पर्यवेक्षण प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना द्वारा किया जायेगा तथा प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना द्वारा योजना के क्रियान्वयन का अनुश्रवण कराया जायेगा।
11. इस योजना अन्तर्गत क्रियान्वित योजना का दो अलग-अलग रंगीन छाया चित्र तथा स्थल जाँच प्रमाण-पत्र प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार के कार्यालय में संधारित किया जायेगा। भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन ससमय विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।
12. योजना के क्रियान्वयन में यदि किसी प्रकार की अनियमितता होती है, तो योजना को क्रियान्वित/निरीक्षण/पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करने वाले पदाधिकारियों की जवाबदेही होगी।
13. जनसाधारण को अवगत कराये जाने एवं पारदर्शिता के निमित्त विवरणी सूचना पट्ट में प्रदर्शित किया जायेगा।
14. संचिका संख्या-27/2025 के पृष्ठ-03/टि० पर दिनांक-30.01.2025 को प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है। दिनांक-15.02.2025 को सम्पन्न स्कीम स्क्रीनिंग समिति की बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-405 दिनांक-15.02.2025 द्वारा प्रस्ताव के स्वीकृति की अनुशंसा की गई है।
15. संचिका संख्या-27/2025 के पृष्ठ-07/टि० पर दिनांक-18.02.2025 को विभागीय सचिव की स्वीकृति एवं संचिका के पृष्ठ-08/टि० पर दिनांक-19.02.2025 को प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
- अनुलग्नक- यथोक्त।**

विश्वासभाजन


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-27/2025 **798** /प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-20/02/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) वित्त विभाग, बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF), बिहार, पटना/प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास), बिहार, पटना/संबंधित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक एवं वन संरक्षक/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी/आंतरिक वित्तीय सलाहकार/बजट शाखा (दो प्रतियों में)/आई०टी० (मैनेजर), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार, पटना (विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-योजना बजट-27/2025 **798** /प०व०ज०प० पटना-15, दिनांक-20/02/2025

प्रतिलिपि :- (सानुलग्नक) संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित उप विकास आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


(पूनम कुमारी)

सरकार के संयुक्त सचिव

कार्यालय- वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई।

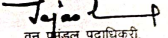
जमुई वन प्रमंडल अंतर्गत झांझा वन प्रक्षेत्र के चरकापत्थर वन परिसर में चार रुम बैरक के निर्माण कार्य का स्थल विवरणी।

क्र.सं.	प्रमंडल का नाम	प्रक्षेत्र का नाम	परिसर का नाम	उप परिसर का नाम	स्थल का नाम	भवनो का स्वरूप	भूमि का प्रकार	भूमि विवरणी				प्राक्कलित राशि			नक्शा	नजरीया नक्शा	KML file	अभि०
								मौजा	खाता संख्या	खेसरा संख्या	शाना संख्या	2024-25	2025-26	कुल योग				
1	जमुई वन प्रमंडल, जमुई	झांझा	चरकापत्थर	-	चरकापत्थर वन परिसर	चार रुम बैरक के निर्माण कार्य	वन भूमि	चरकापत्थर	38	319	22	600000	32,17,057	38,17,057	सलग्न	सलग्न	सलग्न	N 24.687936 E 86.198997

T.A/T.S. granted for Rs. 38,17,057


क्षेत्रीय मुख्य वन सहायक,
भागलपुर।


वन सहायक,
भागलपुर अंचल, भागलपुर।


वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमुई वन प्रमंडल, जमुई।

DFO VAN APP SCHEME No - JAMUR4250055

R.O.
Shajit